



दिनांक:- 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.12.24 को वादी श्री जगदीप पुत्र जयदेव निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्त द्वारा वादी के साथ मारपीट कर जाने से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौच करना तथा वादी की माँ श्रीमती सुरेन्द्र कौर के ऊपर जानबूझकर ट्रैक्टर चढाना, जिससे वादी की माँ की मृत्यु हो जाना व जान से मारने की नियत से वादी व वादी के चाचा सुखविन्दर के ऊपर भी ट्रैक्टर चढाने का प्रयास कर चोट पहुचाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 427/24 धारा 115(2)/352/351(3)/109/103(1)/3(5) बी0एन0एस बनाम 1.काला पुत्र मामूदीन 2. तासीन पुत्र मामूदीन 3. वाजिद पुत्र मामूदीन 4. तालिब पुत्र मामूदीन निवासी ग्राम पभारी थाना जठलाना जनपद यमुनानगर (हरियाणा) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमां उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त काला पुत्र मामूदीन उर्फ इमामूदीन निवासी ग्राम पभारी थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा** को ग्राम मल्हा माजरा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर सोनालिका 750 बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं ट्रैक्टर ट्राली चलाने का काम करता हूँ। दिनांक 13-12-2024 को दोपहर में मैं व मेरा भाई तासीन अपने ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे तो हमें जगदीप पुत्र जयदेव अपने घर के सामने मिला और हमें वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाने से मना करने लगा, इसी बात को लेकर जगदीप के साथ मेरी व मेरे भाई तासीन की कहासुनी हो गयी थी जगदीप का चाचा सुखविन्दर, जगदीप को समझाकर अपने साथ ले गया था। मैं व मेरा भाई तासीन वहाँ से अपना ट्रैक्टर ट्राली लेकर चले गये थे। दिनांक 13/14-12-2024 की रात्रि में नदी से बालू रेत भरकर ग्राम टाबर के जंगल के रास्ते से होकर समय करीब 01.30 बजे जब मैं अपना ट्रैक्टर ट्राली लेकर जगदीप के घर के सामने से जा रहा था तो जगदीप ने मेरे ट्रैक्टर को रोका जिस पर हम दोनों के बीच गाली-गलौच हो गयी, शोर सुनकर जगदीप की मां सुरेन्द्र कौर व चाचा सुखविन्दर सिंह भी वहाँ आ गये, तो मैंने गुस्से में अपना ट्रैक्टर ट्राली जगदीप की मां सुरेन्द्र कौर के ऊपर चढा दिया और ट्रैक्टर ट्राली लेकर वहाँ से भाग निकला। मेरे तीनों भाई तासीन, वाजिद व तालिब अपनी बुलेरो गाडी नम्बर एचआर04डी-7676 से मेरे पीछे-पीछे कुछ दूरी पर चल रहे थे। जैसे ही चीख पुकार हुयी, तो मेरे भाई अपनी बुलेरो गाडी से वही से वापिस मुडकर चले गये थे। आज जब मैं अपना ट्रैक्टर ट्राली लेकर ग्राम मल्हामाजरा की ओर जा रहा था तो मुझे पुलिस द्वारा पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

काला पुत्र मामूदीन उर्फ इमामूदीन निवासी ग्राम पभारी थाना जठलाना जिला यमुनानगर हरियाणा ।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 139/17 धारा 342/365/366/376डी/506 भादवि चालानी थाना जठलाना जिला यमुनानगर, हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण:-

➤ ट्रैक्टर सोनालिका 750 रंग नीला रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 92A 4032

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम :-

- 1 प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. निरीक्षक श्री सिराजूदीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
6. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 16.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अनुराग जैन पुत्र चक्रेश जैन निवासी मौ0 प्रताप नगर थाना मण्डी सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 1753/2024 ,परिवाद संख्या-25514/2022 ,धारा 138 एन.आई एक्ट चालानी थाना कुतुबेशर सहारनपुर नियत दिनांक 17/12/2024 (मा0 न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय, सहारनपुर (रिकवरी) व सम्बन्धित वाद सं0 1754/2024 ,परिवाद संख्या-25608/2022 ,धारा 138 एन.आई एक्ट चालानी थाना कुतुबेशर सहारनपुर नियत दिनांक 17/12/2024 (मा0 अतिरिक्त न्यायालय, सहारनपुर) में मौहल्ला प्रताप नगर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनुराग जैन पुत्र चक्रेश जैन निवासी मौ0 प्रताप नगर थाना मण्डी सहारनपुर

सहारनपुर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह मय हमराह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 737 अरुण तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अमजद पुत्र मौ० हसन उर्फ निन्ना निवासी मौ० हशमत कालोनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी, सहारनपुर को सम्बन्धित परिवाद सं० 186/2019 , धारा 125 (3) सीआरपीसी चालानी थाना बेहट सहारनपुर नियत दिनांक 16/12/2024 (न्यायालय प्रधान न्यायाधीश /परिवार न्यायालय , सहारनपुर) में मौहल्ला हशमत कालोनी पुराना कलसिया रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमजद पुत्र मौ० हसन उर्फ निन्ना निवासी मौ० हशमत कालोनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. उ०नि० श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है०का० 477 विनोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का० 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 07 ग्राम स्मैक, 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 01 तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 नाजायज छुरा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्करी की घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 15.12.2024 को रात्रि चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. नौशाद पुत्र जमशेद नि0 उमेर गार्डन रामगढ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 2. मुवारिक पुत्र अब्दुल सत्तार नि0ग्राम दावकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को ग्राम चक आदमपुर में सडक किनारे आम के बाग से गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 07 ग्राम स्मैक नाजायज, 01 सिल्वर फोयल पन्नी व एक इलैक्ट्रोनिक कांटा एक तमंचा .12 बोर व दो जिन्दा कारतूस .12 बोर व एक छुरा बरामद हुआ है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 361/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम यह स्मैक बाहर से सस्ते दामों पर खरीदकर लाते हैं और यहां राह चलते लोगो को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। स्मैक को बेचकर हमे अच्छी कमायी हो जाती है जिससे हम अपने शौक मौज पूरा करते हैं तथा तमंचा हम अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. नौशाद पुत्र जमशेद नि0 उमेर गार्डन रामगढ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मुवारिक पुत्र अब्दुल सत्तार नि0ग्राम दावकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 07 ग्राम स्मैक नाजायज,
- 01 सिल्वर फोयल पन्नी
- 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा
- 01 तमंचा .12 बोर
- 02 कारतूस जिन्दा .12 बोर
- 01 नाजायज छुरा

अभि0 नौशाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 197/21 धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट थाना कुतुबशेर
2. मु0अ0सं0 277/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ०नि० जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है०का० 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है०का० 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. का० 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 02 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया

अवगत कराना है कि दि० 14.12.2024 को वादी श्री संन्दीप पुत्र गाँधी राम निवासी ग्राम जन्धेड़ा समसपुर थाना रामपुर मनि० सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से तमंचे से पेट में गोली मार देने के सम्बन्ध में सूचना पर मु०अ०सं० 475/24 धारा 109/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित 02 बाल अपचारी को अम्बोली मोड शामली रोड रामपुर मनिहारान से हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। बरामदगी व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 शस्त्र अधि० की वृद्धि की गयी। बाल अपचारीगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01खोखा कारतूस 315 बोर
- 01मोटर साईकल स्पेलण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट चेसिस नम्बर(MBLHA10AMEHF26374)

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
- 2.उ०नि० श्री सुभाषचन्द थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर
3. है० का० मनीष कुमार 888थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर
4. है० का० अरविन्द धामा 968 थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर
5. का०योगेश कुमार 1617 थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दहेज मांगने, मारपीट करने व पत्नी को 03 तलाक देने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2024 को वादिया नाजिस्ता पुत्री इसराईल नि० ग्राम टपरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा अपने ससुराल जनो द्वारा स्वयं से दहेज की मांग करने, मारपीट करने व पति द्वारा 03 तलाक दे देने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 89/2024 धारा 498ए/323 भादवि व ३/४ दहेज अधि० व ३/४ मुस्लिम विवाह अधि० पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे **अभियुक्त हसीन पुत्र मकीम नि० मौ० टालो बाला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

अभियुक्त हसीन पुत्र मकीम नि० मौ० टालो बाला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 795 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का० 51 नितिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2024 को वादी संजय सिंह पुत्र भरत सिंह ग्राम हलालपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 24.10.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल यूपी 11 बीए 5738 उत्तम विहार कालोनी से चोरी कर ली गयी है। जिस सम्बन्ध में तत्काल थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0अ0सं0 450/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विवेचना में मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त **अनिकेत उर्फ अंकित पुत्र शिवकुमार कश्यप नि0 ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल नं0 यूपी11 बीए 5738 बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनिकेत उर्फ अंकित पुत्र शिवकुमार कश्यप नि0 ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोटर साईकिल नं0 यूपी11 बीए 5738

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 207 दिनेश कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 77 अरुण कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16-11-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा कार चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 ऑल्टो कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.12.2024 को वादी श्री धर्मन्द्र पुत्र ज्ञानचन्द नि0 खेडा मुगल जनपद सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की ऑल्टो कार यू0के0 08ए 2377 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 663/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गाडी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त **आदित्य सोम पुत्र निशान्त सिंह नि0 ग्राम रार्धना थाना सरधना मेरठ हाल पता मौ0 रामनगर ई-29 एकता विहार थाना महेशनगर जिला अम्बाला हरियाणा** को उत्तराखण्ड बार्डर डंको वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की ऑल्टो कार UK08 AC 2377 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आदित्य सोम पुत्र निशान्त सिंह नि0 ग्राम रार्धना थाना सरधना मेरठ हाल पता मौ0 रामनगर ई-29 एकता विहार थाना महेशनगर जिला अम्बाला हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 ऑल्टो कार रजि0 न0 UK08 AC 2377

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राहुल देशवाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 528 बिट्टू थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. का0 1830 शुभम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 1919 यसवीर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **आभियुक्त रिहान पुत्र सलीम नि० मौ० विश्वासनगर थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 2507/24 , मु०अ०सं० 140/24 , धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मण्डी सहारनपुर नियत दिनांक 23/12/2024 (मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष न० 12, सहारनपुर) में मौहल्ला हशमत कालोनी पुराना कलसिया रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिहान पुत्र सलीम नि० मौ० विश्वासनगर थाना मण्डी स०पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है०का० 310 विपिन पँवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है०का० 548 रविन्द्र कुमार पँवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 19 पक्के अग्रेजी शराब (चण्डीगढ मार्का) बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व नशा तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **रजनीश पुत्र बलजीत निवासी ग्राम लकड माजरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को सर्किट हाउस के सामने खाली पडी जगह में सडक से 20 कदम दूर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 19 पक्के अग्रेजी शराब (चण्डीगढ मार्का) बरामद हुयी । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 362/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त रजनीश उपरोक्त ने बताया कि मैं सस्ते दामों में शराब खरीद लेता हूँ तथा आस पास व राह चलते लोगो को ठेका बन्द होने के बाद अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रजनीश पुत्र बलजीत निवासी ग्राम लकड माजरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 19 पक्के अग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

6. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 35 पच्चे देशी

शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु मादक पदार्थों/शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा गश्त एवं चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सावेज पुत्र शमशाद निवासी ग्राम भैंसराऊ थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को ग्राम फतेहपुर से 35 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 राज्य निर्मित यूपी नं0-1 मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 231/24 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सावेज पुत्र शमशाद निवासी ग्राम भैंसराऊ थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण –

➤ 35 पच्चे देशी शराब (उ0प्र0 राज्य निर्मित यूपी नं0-1 मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
3. हो0गा0 पीसी 1205 रमेश राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 04 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी पिस्टल, 01 देशी तमन्चा व 02 नाजायज छुरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्र रखने व इनकी तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.12.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. समद पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 2. शोएब पुत्र मुफीद अहमद निवासी खाताखेडी फरमान बस्ती गली नं0 13 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 3. आरिफ पुत्र अनीस निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना गागलेडी जिला सहारनपुर व 4. आवेश पुत्र मन्सूर निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना गागलेडी जिला सहारनपुर को मानकमऊ नहर मार्ग से करीब 80 कदम चकमार्ग पर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर, एक नाजायज देशी तमन्चा 315 बोर व दो छुरी नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 363/2024 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. समद पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. शोएब पुत्र मुफीद अहमद निवासी खाताखेडी फरमान बस्ती गली नं0 13 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. आरिफ पुत्र अनीस निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना गागलेडी जिला सहारनपुर
4. आवेश पुत्र मन्सूर निवासी ग्राम ठोकरपुर थाना गागलेडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर
- 01 नाजायज देशी तमन्चा 315 बोर
- 02 छुरी नाजायज
- 01 मोटरसाईकिल हीरो होण्ड स्पलैण्डर प्लस UP11AF2939 (आनलाईस सीज)
- 01 मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डिलक्स पर UP11BC2764 (आनलाईस सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एच0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

6. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 2175 गोपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
9. का0 2097 अशोक बादल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा आने जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फब्तिया कस रहे 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फब्तिया कस रहे 01 अभियुक्त **तालिब पुत्र कुर्बान नि0 ताज पेलेस , 62 फुटा रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को चिलकाना रोड पर सब्जी मण्डी के गेट से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 469/2024 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता-

तालिब पुत्र कुर्बान नि0 ताज पेलेस , 62 फुटा रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. म0कां0 988 मीनाक्षी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. म0कां0 1859 बाला थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.08.2024 को वादी शुभम पुत्र सेवाराम नि० ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 31.07.2024 को अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान से इन्वर्टर बैटरे व नकदी चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 314/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया तथा दिनांक 26.09.2024 को वादी सरफराज पुत्र अब्दुल हफीज निवासी मौ० कुरेशियान कस्बा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 25.09.2024 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा वादी की फर्नीचर की दुकान से दो मोबाईल फोन व नकदी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 429/24 धारा 305 (ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा दिनांक 03.12.2024 को वादी अर्जुन सिंह पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम आलमपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 02.12.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी के जनसेवा केन्द्र से एक इनबेटर बैट्रा व होमथेटर हार्ड डिस्क व नगदी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं०- 517/24 धारा 305(ए)/324(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा दिनांक 13.12.2024 को वादी सफाद अली पुत्र आसिफ नि० मौ० मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 12.12.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से बैटरा व एक गैस सिलेण्डर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 537/24 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए गस्त/चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1- गुलबहार पुत्र निसार नि० ग्राम इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर हाल नि० मौ० मौहम्मद गौरी सरकारी अस्पताल के पीछे कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. साहिब पुत्र सलीमुद्दीन नि० ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जिला सहारनपुर 3. इसरान पुत्र इकराम नि० सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर को विद्यार्थी तिराहे से गंगोह बाईपास रोड से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे व निशानदेही पर उपरोक्त मुकदमों से सम्बन्धित चोरी हुआ सामान बरामद किया गया। अभियुक्तगण द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत चोरी की घटनाओं के पंजीकृत अभियोग के अलावा थाना नकुड़ क्षेत्र में भी बैटरी चोरी करने की घटना कारित करना स्वीकारा गया है जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 410/24 धारा 305(ए)/331(2) बीएनएस पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 12.11.2024 को हमने गुलबहार के पडोस के मकान से रात के समय एक सिलेण्डर व एक बैटरी चोरी की थी तथा करीब 13-14

दिन पहले शेरमऊ मिल के आगे से पेट्रोल पम्प के पास जनसेवा केन्द्र का शटर फाडकर चोरी किया था इसी जनसेवा केन्द्र से हमने 01 इन्वर्टर, 01 बैटरा तथा 4500 रु0 चोरी किये थे तथा पकडे जाने के डर से हमने वहां लगे सीसीटीवी कैमरो को तोड दिया और करीब 02 महीने पहले हम तीनों ने कस्बा गंगोह में रात के समय एक फर्नीचर की दुकान से करीब 60000/- रु0 व दो मोबाईल फोन चोरी किये थे मोबाईल फोन खराब व बन्द थे जिन्हे हमने फेंक दिया तथा चोरी किये हुए रूपये हमने अपने खर्च में ले लिये थे जिनमे से 10000/- रु0 बचे हुए थे जो गुलबहार के घर से पुलिस को बरामद करा दिये है तथा इसके अतिरिक्त हम तीनों द्वारा करीब 20-22 दिन पहले ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड से जनसेवा केन्द्र व एक मिठाई की दुकान से शटर फाडकर इन्वर्टर बैटरा, सीसीटीवी डीवीआर व गल्ले के कुछ रूपये चोरी किये थे । सीसीटीवी डीवीआर हमने तोड कर फेंक दी थी तथा रूपये अपनी जरूरते पूरी करने के लिए खर्च कर दिये थे तथा इसके अतिरिक्त हम तीनों ने मिलकर अपने साथी तीन अन्य साथी 1. सुभान उर्फ सोभान पुत्र मकसूद नि0 निकट बडी ईदगाह मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. उस्मान पुत्र इस्लाम नि0 निकट चौना चौक मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर 3. आरिस पुत्र गुल्लुबयान नि0 नई बस्ती मौ0 गुज्जरवाडा कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर के साथ मिलकर शेरमऊ नकुड रोड पर एक इन्वर्टर बैटरे की दुकान में भी चोरी थी । उपरोक्त चोरी का बचा हुआ सामान गुलबहार के घर से पुलिस को बरामद करा दिया गया है ।

नोट - मु0अ0सं0 314/24 धारा 305(ए)/ 317(2) बी.एन.एस में अभियुक्त गण 1. सुभान उर्फ सोभान पुत्र मकसूद नि0 निकट बडी ईदगाह मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. उस्मान पुत्र इस्लाम नि0 निकट चौना चौक मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर 3.आरिस पुत्र गुल्लुबयान नि0 नई बस्ती मौ0 गुज्जरवाडा कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को दिनांक 02/08/24 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्ध चोरी के इन्वर्टर बैटरे भी बरामद हुए थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. गुलबहार पुत्र निसार नि0 ग्राम इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर हाल नि0 मौ0 मौहम्मद गौरी सरकारी अस्पताल के पीछे कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. साहिब पुत्र सलीमुद्दीन नि0 ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड जिला सहारनपुर
3. इसरान पुत्र इकराम नि0 सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 छोटा बैटरा EXIDE कम्पनी का व 01 सिलेण्डर घरेलू (सम्बन्धित मु0अ0सं0 537/24 धारा 305(ए) बी.एन.एस.)
- 01 होमथियेटर व 2000/- रु0 नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 517/24 धारा 305(ए)/324(ए) बीएनएस)
- 10000/- रु0 नकद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 429/24 धारा 305 (ए) बीएनएस)
- 01 बैटरा कम्पनी LUMINOUS, 01 बैटरा कम्पनी MTECH POWER, 01 बैटरा कम्पनी EURO, 01 बैटरा कम्पनी DYNO, 01 बैटरा कम्पनी P ZONE कुल 06 बैटरे व 01 इन्वर्टर कम्पनी EXIDE, 01 इन्वर्टर कम्पनी ARIS, 01 इन्वर्टर LIVGAURAD रंग काला, 01 इन्वर्टर कम्पनी AMAGE रंग काला कुल 04 इन्वर्टर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 314/24 धारा 305(ए)/ 317(2) बी.एन.एस)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इसरान

1. मु0अ0रसं0 16/21 धारा 379/411 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 95/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 22/21 धारा 380/457/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 63/18 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 65/18 धारा 380/411/457 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 66/18 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 67/18 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 68/18 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 95/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 349/19 धारा 323/354 भावदि 3/4दहेज प्रतिषेध अधि0 व 3/4मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नीरज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. है0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 326 रिकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. का0 2452 रक्षित चाहल थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7. का0 404 मनीष कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 16.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अपनी पुत्री के एसबीडी अस्पताल से कहीं चले जाने के सम्बन्ध में दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 300/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसमें दौराने विवेचना अभियुक्त **आमिर पुत्र स्व माजिद निवासी ग्राम उमाही कोटा थाना नागल जिला सहारनपुर** का नाम प्रकाश में आया था तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बी0एन0एस0 व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.12.2024 को उपरोक्त मुकदमे में वांछित **अभियुक्त आमिर पुत्र स्व माजिद निवासी ग्राम उमाही कोटा थाना नागल जिला सहारनपुर** को एसबीडी अस्पताल के पीछे वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आमिर पुत्र स्व माजिद निवासी ग्राम उमाही कोटा थाना नागल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विक्रान्त भडाना, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आशीष कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. कां0 2541 जय सिंह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



दिनांक: 16.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना को0 देहात, पुलिस द्वारा शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित के 05 माल मुकदमाती व 01 माल गोकशी से संबन्धित का मा0 न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व माल विनष्टीकरण हेतु ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निर्देशन में तथा तहसीलदार सदर सहारनपुर व श्रीमती निशा गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी सहारनपुर, प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी व0उ0नि0 सुनील कुमार शर्मा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर की उपस्थिति में आज दिनांक 16.12.2024 को वर्ष 2022 व 2021 व 2018 में शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित 5 चाकू व गोकशी से सम्बन्धित 01 रस्सी माल मुकदमाती को तुडवाकर थाना के पास खाली प्लाट में गड्ढा खुदवाकर दबाकर कुल 06 माल मुकदमाती विनष्टीकरण कराकर निस्तारण किया गया

नष्ट किये गये मालो का विवरण

- 5 चाकू (शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित)
- 01 रस्सा (गोकशी से सम्बन्धित)

माल मुकदमाती निस्तारण हेतु गठित टीम:-

- 1- श्री मुनीश चन्द क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय जनपद सहारनपुर।
- 2- श्री अमित कुमार तहसीलदार सदर सहारनपुर।
- 3- श्रीमित निशा गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी जनपद सहारनपुर
- 4- श्री चन्द्रसैन सैनी थानाध्यक्ष थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
- 5- श्री सुनील कुमार शर्मा व0उ0नि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
- 6- एचएम 865 अमित पाल थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा पेड़ चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.12.2024 को वादी विकास कुमार पुत्र राजकुमार निवासी चौराखुर्द थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा चारागृह से सरकारी पेड़ चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 268/24 धारा 303(2)/3(5)/317(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2024 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण 1.नवाब उर्फ शहजाद पुत्र अकबर निवासी सम्भालकी गुर्जर थाना फतेहपुर 2. एहकाम पुत्र इस्लाम निवासी रेडी मुस्तकम थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को चौराखुर्द से सम्भालकी रोड पर मोड पुलिया से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 3350/- रुपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम दोनो अपने 05 अन्य साथियों के साथ मिलकर जंगल में खड़े पेड़ों को चोरी छिपे काटकर उनको ले जाकर भिन्न भिन्न जगहों पर बेच देते हैं। हमने लगभग 10 दिन पहले ग्राम चौरादेव चरागाह से चोरी से लकड़ी काटी थी तथा 01 महीने पहले भी हमने ग्राम सलेमपुर गाडा जनकपुरी क्षेत्र के कब्रिस्तान से भी यूके लिफ्टिस के कई पेड़ चोरी किये थे और उन पेड़ों को ले जाने के लिये अपने साथी की गाडी का इस्तेमाल करते थे। चौराखुर्द से भी जो दिनांक 6/7.12.24 की रात्रि में चरागाह से लिफ्टिस के पेड़ों की लकड़ी काटकर हमने लकड़ी 25000 रुपये में बेची थी जिनको हमने आपस में बांट लिया था बाकी पैसे हमसे खर्च हो गये ये वही पैसे हैं। अभी 2-3 दिन पहले सहारनपुर जनकपुरी पुलिस ने हमारे साथी मौ0 पैगाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. नवाब उर्फ शहजाद पुत्र अकबर निवासी सम्भालकी गुर्जर थाना फतेहपुर
2. एहकाम पुत्र इस्लाम निवासी रेडी मुस्तकम थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 3350/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. थानाध्यक्ष सुरेश कुमार थाना गागलहेडी स0पुर
2. उ0नि0 श्री लोकेश सिंह राणा थाना गागलहेडी स0पुर
3. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी स0पुर
4. है0का0 641 रवि नागर थाना गागलहेडी स0पुर